



2026:AHC:36654-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2428/2026

अवधेश उपाध्याय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता:

जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रारम्भ में ही विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने इंगित किया कि इस मामले में जांच पहले ही पूरी हो चुकी है तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहते तथा उचित समय पर उपयुक्त मंच पर जाने की स्वतंत्रता के साथ इसे वापस लेना चाहते हैं।
4. दिए गए कथन को दृष्टि में रखते हुए, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई मानकर निरस्त की जाती है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति नियमों के अनुसार वापस कर दी जाए।

( अचल सचदेव, न्यायमूर्ति ) ( राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति )

18 फरवरी, 2026/केएस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”